

प्रेषक,

डा० हषिकेश भाषकर याशोद,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अयोध्या, अमरोहा, जौनपुर, बलिया, मथुरा, सम्भल, सोनभद्र, आजमगढ़, मिर्जापुर, कुशीनगर, एटा,
बागपत, चंदौली, संत कबीर नगर, बिजनौर, लखनऊ, ललितपुर, सीतापुर, सहारनपुर एवं बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05-01-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाइडलाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय के लिये ₹0 470.91 (रुपये चार करोड़ सत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	जनपद	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	अयोध्या	12.06
2	अमरोहा	22.22
3	जौनपुर	32.48
4	बलिया	37.62

5	मथुरा	43.97
6	सम्भल	11.29
7	सोनभद्र	45.80
8	आजमगढ़	38.58
9	मिर्जापुर	17.20
10	कुशीनगर	10.49
11	एटा	24.15
12	बागपत	10.95
13	चंदौली	14.05
14	संत कबीर नगर	8.33
15	बिजनौर	21.42
16	लखनऊ	38.34
17	ललितपुर	15.84
18	सीतापुर	51.33
19	सहारनपुर	8.50
20	बलरामपुर	06.29
	कुल योग	470.91
(रूपये चार करोड़ सत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र)		

(1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1031/एक-10-2025-12(34)/2003 टीसी-1, दिनांक 01.11.2025 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) विगत 03 वर्षों में कम्बल क्रय हेतु व्यय किये गये औसत धनराशि से अधिक धनराशि का कम्बल क्रय न किया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में ही अतिरिक्त कम्बल क्रय की मांग राहत अतिरिक्त कम्बलों का क्रय धनराशि निर्गत होने के पूर्व न किया जाय।

(3) आपूर्तिकर्ता संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो विक्री के लिए नहीं है।

(4) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गार्ड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मर्दों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरुष/महिला, निराश्रित एवं असहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(8) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हो।

(12) कम्बलों का वितरण की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 - उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० हषिकेश भाष्कर याशोद)
सचिव।

संख्या-03(1)/एक-10-2026-12(34)/03 टीसी-1. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महलखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव 30प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, 30प्र0।
- 9- संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 05-01-2026
16:05:34 (कुलदीप सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-06/01/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

003

001-003

51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	850000 3600000	850000 3600000
2	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4397000 7147000	4397000 7147000
3	एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2415000 4065000	2415000 4065000
4	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2142000 4892000	2142000 4892000
5	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1720000 3920000	1720000 3920000
6	बनारस-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3248000 6548000	3248000 6548000
7	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3762000 7062000	3762000 7062000
8	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3858000 8258000	3858000 8258000
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3834000 6584000	3834000 6584000
10	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5133000 8983000	5133000 8983000
11	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1206000 3956000	1206000 3956000
12	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1584000 4334000	1584000 4334000
13	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4580000 6780000	4580000 6780000
14	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1049000 4349000	1049000 4349000
15	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1405000 4155000	1405000 4155000
16	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	629000 2279000	629000 2279000
17	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	833000 2483000	833000 2483000
18	बागपत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1095000 2745000	1095000 2745000
19	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2222000 4422000	2222000 4422000
20	सम्भल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1129000 2779000	1129000 2779000
	योग	वर्तमान प्रगामी	47091000 99341000	47091000 99341000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया चार करोड़ सत्तर लाख इकानवे हजार
रूपया नौ करोड़ तिरानवे लाख इक्तालीस हजार



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी